

॥ जे का रंजले गांजले । त्यांसी करुया आपुले ॥



श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षण मंडळ, कराडचे

वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड

(शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर संलग्न)

विद्यानगर, कराड, जि. सातारा ४१५१२४. दूरध्वनी : कार्यालय : (०२१६४) २७१६१९

(स्थापना : १ मे, १९७१)

Reaccredited at the "B" Grade by NAAC, Bangalore
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COLLEGE CR. NO. 20200206001GS

Website : www.vcckarad.com

Email : principalvcck@gmail.com / vck157.cl@unishivaji.ac.in

M.Com. NEP Course Post Graduate

माहितीपत्रक

2024-2025



वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड

विद्यार्थी मित्रांनो,

महाविद्यालय आपणा सर्वांचे आहे. ते सुंदर व देखणे दिसावे, येथील अध्यापन व्यवस्थित चालावे, आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा जितका विकास करता येईल तितका करण्याची संधी येथे उपलब्ध व्हावी, येथील वातावरण प्रसन्न व आनंददायक रहावे, याकरिता पुढील गोष्टींचे पालन करावे-

1. सर्व तासांना नियमितपणे हजर राहावे. वर्ग चालू असताना व्हरांड्यात अथवा परिसरात फिरू नये. इतरांना त्रास होईल, असे वर्तन करू नये.
2. गृहपाठ, स्वाध्याय वेळच्या वेळी पूर्ण करून द्यावेत.
3. शिष्यवृत्ती, परीक्षा, विविध कोर्सेस इत्यादी बाबतच्या सूचना फलकावर लावलेल्या असतात. त्या पहाव्यात, शंका असल्यास कार्यालयात किंवा प्राध्यापक अथवा प्राचार्य यांना भेटावे.
4. आपले ओळखपत्र नेहमी परिधान करावे.
5. भिंती, बाके, फळे यांवर काहीही लिहू नये. महाविद्यालयाची इमारत व त्यामधील वस्तू सुंदर व नीटनेटक्या ठेवाव्यात. महाविद्यालयाच्या परिसरात कागदाचे कपटे टाकू नयेत. प्रसन्न वातावरणात मनाची प्रसन्नता वाढते. महाविद्यालयाची वास्तू व परिसर जितका सुंदर ठेवता येईल तितका ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.

प्राचार्य

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय अध्यापनाची वेळ : सकाळी ७-३० ते १-००

एम. कॉम. अध्यापनाची वेळ : सकाळी १०-३० ते २-१५

एम. ए. अध्यापनाची वेळ : सकाळी १०-३० ते २-१५

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

सकाळी ८ ते दुपारी ३.४० पर्यंत

दिनांक १८ जून, २०२४

पासून महाविद्यालय नियमितपणे सुरु होईल.

Shri Shivaji Education Society, Board for Higher Education, Karad's

Venutai Chavan College, Karad

M. Com. Course

New Education Policy - 2020

Shri Shivaji Education Society, Karad was founded in 1945 at the instance of Shri Y. B. Chavan, who as a young man foresaw the imperative need of education to the masses in reconstructing the country on democratic lines. The Society in a matter of years, justified the trust reposed in it by opening as many as nine highschools and two colleges in and around Karad.

The Venutai Chavan College, Karad came into existence in 1971. During the last 53 years it has endeavoured to impart quality education to the young men and women. It has earned its own name as far as Commerce education is concerned and its Commerce strength is the second largest in the Satara District. M. Com. Course has opened in the College in 1981. Since then College has been imparting quality education to postgraduate Commerce students.

Duration of M. Com. course is two years, Part I and Part II are conducted separately.

The M. Com. course consists of 24 papers. It has 16 compulsory subjects and two optional subject having 8 papers.

Note : Classification of Subjects

M. Com. Part - I

Sem - I

1. Advanced Cost Accountancy Paper - I
2. Advanced Cost Accountancy Paper - II
3. Advanced Cost Accountancy Paper - III
4. Advanced Cost Accountancy Paper - IV
5. Business Management
6. Research Methodology

Sem - II

7. Advanced Cost Accountancy Paper - V
8. Advanced Cost Accountancy Paper - VI
9. Advanced Cost Accountancy Paper - VII
10. Advanced Cost Accountancy Paper - VIII
11. Organization Behaviour
12. On Job Training

M. Com. Part - II

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Management Accounting Paper I & II | 3. Advanced Costing V & VI |
| 2. Business Finance. Paper I & II | 4. Advanced Costing VII & VIII |

Fees and Deposits :

1.	Admission Fee	10-00
2.	Tution fee	8000-00
3.	Liabrary fee	100-00
4.	Co-Curricular activities fees	25-00
5.	Gymkhana fee	150-00
6.	University Registration fee	50-00
7.	Students Aid Fund	25-00
8.	Prorata	50-00
9.	Vikas Nidhi	150-00
10.	Ashwamedha	36-00
11.	Y. M. fee	75-00
12.	Apatakalin Nidhi	10-00
13.	Lead College Fees	25-00
14.	Insurance (SWF)	100-00
15.	E - Service	50-00
16.	N.S.S. Fee	10-00
17.	Eligibility fee	50-00
18.	Magzine	100-00
19.	Culture fee	100-00
20.	Medical aid fund	20-00
21.	Youth Hostel	50-00
22.	Jubilee Fund	25-00
23.	Student Welfare Fund	100-00
24.	Aavishkar Nidhi	10-00

Medium of Instruction : The medium of instruction for the course will be English.

Lectures : The lectures will commence from 18/06/2024. The classes will be conducted between 10-30 a.m. and 2-15 p.m. in the college building itself.

Library : The college has a well - equipped Library.

Hostel : A few seats are reserved for M. Com. students in the college Hostel.

Bus Service : Regular City Bus Service is available from Karad Bus Station to College.

Miscellaneous : Students are advised to contact the office for all information relating to freeships, student welfare fund etc.

As per Shivaji University Kolhapur circular No Post Graduate admission and seminar department / SRP/1 dated 05-04-2010 it is must to submit separate affidavit of parent / guardian and the student in the prescribed format attached to the admission form for admission process.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम २००९ के अनुसार रैगिंग कैसे होती है -

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आयेंगे।

- क. किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीडन अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख. छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीडा हो।
- ग. किसी छात्र से ऐसे कार्य करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीडा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- ङ. नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च. नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ. शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य / किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों को अभिव्यक्त करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज. मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापत्र अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ. कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कारवाई -

1. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।

2. रैगिंग हेतु उकसाना
3. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
4. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
5. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
6. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
7. शरीर को चोट पहुँचाना
8. गलत ढंग से रोकना
9. आपराधिक बल प्रयोग

10. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराधा अथवा अप्राकृतिक अपराध
11. बलात् ग्रहण
12. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दुसरे के स्थान में प्रवेश करना
13. सम्पत्ति में सम्बन्धित अपराध
14. आपराधिक धमकी
15. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
16. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीडित के विरुद्ध करने हेतु धकमाना
17. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
18. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराधों का भी यहाँ उल्लेख किया जाता है। संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिती तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई-

1. किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।
 - क. रैगिंग विरोधी समिती उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।
 - ख. रैगिंग विरोधी समिती रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।
 1. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
 2. छात्रवृत्ती / छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना / वंचित करना
 3. किसी टेस्ट / परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
 4. परीक्षाफल रोकना
 5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना
 6. छात्रावास से निष्कासित करना
 7. प्रवेश रद्द करना
 8. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासना करना
 9. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासना करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भडकाने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।
 - ग. रैगिंग समिती द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।
 1. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से

2. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपती से
3. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था होने पर उसके चेयरमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार
2. यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन / सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान में सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती हैं तथा रैगिंग को प्रभावशाली दंग से रोकने में असफल रहता हैं तथा विश्वविद्यालय पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समूहकार दण्ड लगा सकता हैं
 1. सम्बद्धता / रेकगनिशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना
 2. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना
 3. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो
 4. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना.
 5. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड
3. जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार हैं कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई हैं। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की हैं। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की हैं। इस विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की हैं। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।
4. कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।
 1. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।
 2. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
 3. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष असिस्टेन्स प्रोग्राम हेतु संस्था को आयोग घोषित करना।
 4. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की वेबसाईट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में लघुत्तम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं हैं।
 5. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दण्डित करना जब तक कि वह रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले।

आयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितीयों सहयोगी देंगी।

(आर. के. चौहान)
सचिव

" Be one with the downtrodden and the underprivileged. "

Shri Shivaji Education Society,
Board for Higher Education, Karad's

VENUTAI CHAVAN COLLEGE, KARAD

VISION STATEMENT

To educate students through dedicated holistic attitude to develop ethical, disciplined, sensible and determined citizen to cope with local to global challenges.

GOALS AND MISSION OF THE COLLEGE

- * To create social awareness among the students and to equip their minds to honour secularism, and upliftment of the underprivileged culturally and socially.
- * To impart quality - based higher education to the students from Karad and the surrounding mofussil area.
- * To create the sense of discipline in terms of regularity, sincerity, punctuality and devotion among the students with a view to enrich responsible and respectable citizenship.
- * To aim at overall development of personality of the students through various cocurricular and extra-curricular activities.
- * To embolden the students to face the challenges created by the emerging global situation.
- * To create among the students a feeling of corporate life.

" Be one with the downtrodden and the underprivileged. "

Shri Shivaji Education Society,
Board for Higher Education, Karad's

Venutai Chavan College, Karad

I/c Prin. Prof. (Dr.) S. R. Sarode

Coordinator : Shri. V. P. Dhumal

TEACHING STAFF

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Shri. S. J. Bargir (visiting) | 3. Dr. N. S. Pandit (visiting) |
| 2. Shri. M. V. Patil (visiting) | 4. Dr. B. V. Patil (visiting) |

वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड वरिष्ठ महाविद्यालय (पदव्युत्तर विभाग)

महाविद्यालयाची उज्वल यशाची परंपरा

शिवाजी विद्यापीठ गुणवत्ताधारक विद्यार्थी व विद्यार्थिनी

- | | | |
|---------------|----------------------------------|--|
| 1. मार्च 2003 | कु. गौरी श. गरगटे | एम.कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट चौथा क्रमांक |
| 2. मार्च 2008 | कु. रेशमा भा. खटावकर | एम. कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट तिसरा क्रमांक |
| 3. मार्च 2018 | कु. क्षितिजा सं. जगदाळे | एम. कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट प्रथम क्रमांक |
| 4. मार्च 2020 | कु. रुबिया यु. सुतार | एम. कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट प्रथम क्रमांक |
| 5. मार्च 2021 | श्री. वरद पुरुषोत्तम जंबगी | एम. कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट चौथा क्रमांक |
| 6. मार्च 2022 | कु. त्रिक्षती दत्तात्रय कुलकर्णी | एम. कॉम. विद्यापीठ मेरीट लिस्ट दहावा क्रमांक |

SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR



CERTIFICATE

This is to certify that University approval is given to **Venutai Chavan College, Karad, Tal. Karad, Dist. Satara** to conduct the following courses for the academic year 2023-2024.

Faculty of Humanities and Commerce & Management

- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| B. A. - I Grant-in-aid Division-2 | Permanent Affiliation | Non grant Division-2 |
| Govt. Recent Approval | - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३. | |
| Compulsory | - मराठी, हिंदी, इंग्रजी, शास्त्रीय पध्दती, भाषाशास्त्र. | |
| Optional | - संस्कृत, इंग्रजी, मराठी, हिंदी, मानसशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, शा.शिक्षण. | |
| B. A. - II Grant-in-aid Division-2 | Permanent Affiliation | Non grant Division-1 |
| Govt. Recent Approval | - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३. | |
| Compulsory | - इंग्रजी. | |
| IDS | - महाराष्ट्राचा सामाजिक सुधारणाचा इतिहास, तर्कशास्त्र, लोकप्रशासन, सहकार, पर्यटन भूगोल, भाषाशास्त्र. | |
| Optional | - संस्कृत, इंग्रजी, मराठी, हिंदी, मानसशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षण. | |
| B. A. - III Grant-in-aid Division-2 | Permanent Affiliation | Non grant Division-1 |
| Govt. Recent Approval | - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३. | |
| Compulsory | - इंग्रजी. | |
| Special | - इंग्रजी, मराठी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र. | |
| B. A. - III Non grant Division-1 | | |
| Govt. Recent Approval | - एनजीसी/२०१४/(१०२/१४)/मशि-४, दि.१४/०६/२०१४. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/टी-२/एसएससी/वि.प.विषय क्र. १७ दि. १८.०६.२०२१/०००१९ दि. ०२.०८.२०२१. | |
| Special | - संस्कृत, शारीरिक शिक्षण. | |
| B.Com. - I Grant-in-aid Division-2 | Permanent Affiliation | Non grant Division-2 |
| Govt. Recent Approval | - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३. | |
| Compulsory | - बिझनेस कम्प्युनिकेशन - I, (इंग्रजी आवश्यक), प्रिन्सीपल ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट, फायनान्सियल अकॉंटिंग, बिझनेस इकॉनॉमिक्स - I. | |
| Optional | - इन्शुरन्स, प्रिन्सिपल्स ऑफ मार्केटींग. | |
| B.Com. - II Grant-in-aid Division-2 | Permanent Affiliation | Non grant Division-1 |
| Govt. Recent Approval | - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६. | |
| University Recent Approval | - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३. | |

- Compulsory** - बिज्ञनेस कम्प्युनिकेशन - II (इंग्रजी आवश्यक), बिज्ञनेस इकाॅनॉमिक्स- II, को.ऑप. अकाॅटिंग, फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रिनरशिप, बिज्ञनेस स्टॅटिस्टिक्स, मनी अॅण्ड फायनान्सियल सिस्टीम.
- B.Com. - III Grant-in-aid Division-2 Permanent Affiliation**
- Govt. Recent Approval** - युकेएफ/१०८६/१५३०९२/(९८२१) (विशि-२) दि. ३० जून, १९८६
- University Recent Approval** - संलग्नता/४१४१ दि. ०८ फेब्रुवारी, १९७३
- Compulsory** - बिज्ञनेस इन्व्हायर्नमेंट, को.ऑप. डेव्हलपमेंट, बिज्ञनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क, मॉडर्न मॅनेजमेंट प्राक्टिस
- Optional** - अॅडव्हान्स अकाॅटन्सी पेपर - १,२ व इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट पेपर - १,२.
- M.Com. - I & II Non grant Division-1 (50)**
- Govt. Recent Approval** - बीयुटीआर विषय क्र. १४, दिनांक १३/०६/१९८१
- University Recent Approval** - शिवाजी वि/संलग्नता/टी-२/एसएससी/००७६१ दि. २१.०६.२०२२
- Course -** - अॅडव्हान्स काॅस्ट अकाॅटन्सी.
- M.Phil. Non granted**
- Govt. Recent Approval** - कार्यकारिणी विषय क्र. १५२, दिनांक ०८/०४/१९९३
- University Recent Approval** - संलग्नता/टी-२/एसएससी/वि.प. विषय क्र. १७, दि. १८.०६.२०२१/०००१९ दि. ०२.०८.२०२१.
- Subject** - इंग्रजी
- B.B.A. - I, II, III Permanent Non Grant Intake - 80**
- Govt. Recent Approval** - अभ्यास २००७/(११३/०७)/मशि-३ दि. १४ जून, २००७
- University Recent approval** - शिवाजी वि/संलग्नता/टी-२/एसएससी/००७६१, दि. २१.०६.२०२२.
- Course** - संपूर्ण अभ्यासक्रम
- M.A. - I & II Non granted Division - 1 Intake - 50**
- Govt. Recent Approval** - एनजीसी/२००८/(२१५/०८)/मशि-३, दि. १९/०६/२००८
- University Recent Approval** - शिवाजी वि/संलग्नता/टी-२/एसएससी/००७६१ दि. २१.०६.२०२२.
- Subject** - मराठी
- Career Oriented Courses - UGC Grant -**
- Govt. Recent Approval** - F-No.4-247/2007(VE/COP), Dt. 23 Feb., 2007.
- University Recent Approval** - संलग्नता/टी-२/बीएके/वि.प. विषय क्र. ६९ दि. २३.०१.२०२०/०२८८ दि. ०५.०३.२०२०.
- Course** - Certificate Course in Banking, Diploma Course in Banking
- Career Oriented Courses - UGC Grant -**
- Govt. Recent Approval** - F-No.4-247/2007(VE/COP), Dt. 23 Feb., 2007.
- University Recent Approval** - शिवाजी वि/संलग्नता/टी-२/एसएससी/००७६१ दि. २१.०६.२०२२.
- Course** - Advance Diploma Course in Banking
- B.A. Part II, B.Com Part II & B.B.A. Part II**
- University Circular** - SU/BOS/Env.-Sy1/Dhawan/11594/11125, Dt. 16 March, 2005.
- Compulsory** - पर्यावरणअभ्यास.

Place : Kolhapur

Date : 02 AUGUST 2023

Outward No.: 00822


Registrar,
Shivaji University, Kolhapur



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

निम्नलिखितानुसार अनुमानित आयोग तथा समन्वय संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
is pleased to declare the
Venutai Chavan College, Karad
Vidyanagar, Karad, Dist. Satara, affiliated to Shivaji University, Maharashtra as
Accredited
with CGPA of 2.48 on four point scale
at B grade
valid up to December 06, 2024*

Date : December 06, 2021




*S. C. Chavan
Director*



ECBC/18/3rd Cycle/MERCOGN08/21



**आदरणीय पी. डी. पाटील क्रीडानगरी
४०० मीटरचा आठ लेन धावन मार्ग**



॥ जे का रंजले गांजले । त्यांसी करुया आपुले ॥
श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, उच्च शिक्षण मंडळ, कराडचे

वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड

विद्यानगर, कराड, जि. सातारा ४१५१२४. दूरध्वनी : कार्यालय : (०२१६४) २७१६१९
(स्थापना : १ मे, १९७१)

“ मी माझ्या उपयोगासाठी शिक्षणाची एक सरळ आणि साधी व्याख्या करून ठेवली आहे. शिक्षित व्यक्तीला स्वतःच्या भोवती घडणाऱ्या गोष्टी आणि जगामध्ये घडणाऱ्या इतर गोष्टी यांची ज्यामुळे काही संगती लावता येते आणि त्याचा परिणाम आपल्या जीवनावर काय घडतो हे समजावून घेता येते आणि समजावून देता येते त्याला मी शिक्षण मानत आलो आहे.”

– स्व. यशवंतरावजी चव्हाण

